5/499(02)

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

प्रेम देवी बनाम् सरकार

प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या – /2025/499(02) जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025/499

ोख म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
09.2025	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वयं प्रार्थी ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6 वाके ग्राम मानसर खेडी प.ह. मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रकरण की वर्तमान वस्तुस्थिति/तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बस्सी जरिये हल्का पटवारी पत्रांक भू.अ. /2025/6496 दिनांक 09.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि पटवारी हल्का मानसर खेडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम मानसर खेडी के आराजी खसरा नम्बर 6 की मुताबिक साबिक एवं नवीन रिकॉर्ड अनुसार जांच की गई। खसरा नम्बर 6 का साबिक नक्शा सही है, खसरा नम्बर 6 के साबिक नक्शे अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है, परन्तु सेग्रीगेशन का नक्शा बनाते समय सहवन वश राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे की आकृति परिवर्तित कर दी गई, जो कि गलत है, जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु खातेदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम मानसर खेडी खसरा नम्बर 6 की सेग्रीगेशन नक्शे को साबिक लठ्ठा नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है। पत्रावली में संलग्न नक्शा शीट में लाल रंग से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 6 की तरमीम को दुरूस्त किया जाने की अभिषंशा की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन पश्चात पाते है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व नक्शा एवं सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शे में भिन्नता होना तथा तहसीलदार रिपोर्ट में परिवर्तित नक्शे को दुरूस्ती किये जाने की अभिषंशा करने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 09.09.2025 के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मानसर खेडी के खसरा नम्बर 6 रकबा 1.1633 है0 का वर्तमान राजस्व नक्शा ऑनलाईन को सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शा एवं तहसीलदार रिपोर्ट में दर्शाये गये नजरी नक्शानुसार रकबा बरारी कर दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी होकर तदानुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में नक्शा दुरूस्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 23/9/25 **उपखण्ड अधिकारी बस्सी** **जिला जयपुर** न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते	